(3)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 64 / 2005.

No.E(P&A)I-2001/RT-2(KW) New Delhi, dated 15.04.2005.

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Safety Related Retirement Scheme – Drivers and Gangmen.

Ref: Board's letter No. E(P&A)I-2001/RT-2 (KW) dated 02.01.2004.

Pursuant to the introduction of Safety Related Retirement Scheme (SRRS), vide above referred Board's letter, a number of proposals mooting further amendments/improvements/extensions to Safety Related Retirement Scheme were received from Zonal Railways and Federations. After considering the various suggestions, the Ministry of Railways (Railway Board) have decided that suitability for recruitment of wards of employees opting for retirement under this scheme will be assessed through a Committee at the level of Zonal Headquarters instead of RRB. For this purpose, a Committee of three SAG Offiters may be constituted by the Zonal Railway consisting of one Officer from Personnel, one from Mechanical/Electrical Engineering (depending upon the stream in which recruitment is being done) and one SAG Officer from Civil Engineering Department.

2. Other terms and conditions of the scheme as stipulated in Board's above referred letter dated 02.01.2004 remains unchanged.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(BANSI LAL)
Deputy Director, Estt. (P&A),
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-2001/RT-2(KW) New Delhi dated 15.04.2005.

Copy to:-

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 64/2005

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू) नई दिल्ली, दिनांक 15.4.2005

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय : संरक्षा से संबंद्ध सेवानिवृत्ति योजना - ड्राइवर तथा गैंगमैन.
संदर्भ : बोर्ड का 2.1.2004 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू).

बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के द्वारा संरक्षा से संबंद्ध सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के अनुसरण में, संरक्षा से संबंद्ध सेवानिवृत्ति योजना में और संशोधन/सुधार/विस्तार करने के लिए कई प्रस्ताव क्षेत्रीय रेलों तथा फेडरेशनों से प्राप्त हुए थे. विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती के लिए उपयुक्तता का आकलन रेल भर्ती बोर्ड के बजाए क्षेत्रीय रेल मुख्यालय स्तर पर एक समिति के माध्यम से किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा तीन वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए जिसमें एक अधिकारी कार्मिक विभाग से, एक यांत्रिक/बिजली/इंजीनियरी विभाग से (जो उस विभाग पर निर्भर करेगा जिसमें भर्ती की जा रही है) तथा एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी सिविल इंजीनियरी विभाग से होगा.

2. बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन 2.1.2004 के पत्र में यथा अनुबंधित इस योजना के अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी.

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

4. कृपया पावती दें.

(बंसी लाल)
उप निदेशक, स्था. (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू) नई दिल्ली, दिनांक 15.4.2005

1. प्रमुख निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू) नई दिल्ली, दिनांक 15.4.2005

प्रतिलिपि विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलों को प्रेषित.

(बंसी लाल)
उप निदेशक, स्था. (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/आर टी-2 (के डब्ल्यू) नई दिल्ली, दिनांक 15.4.2005

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महासचिव, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, एन एफ आई आर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित.)
3. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महासचिव, फ्रोआ.
5. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' आफिसर एसोसिएशन.
6. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन
7. महासचिव, आई आर पी ओ एफ
8. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ
10. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी-IV कर्मचारी संघ
11. महासचिव, ए आई आर पी एफ एसोसिएशन.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड